न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 43 / 2020(2020 / 00242)

अनवान : —

1. विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री सुरेन्द्र बैनीवाल —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय दिनांक : 17/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा गढडा के खाता सं0 112 / 117 के खसरा संख्या 126 की 7.310 हैक्टेयर खसरा सं0 131 की 1.631 हैक्टेयर, खसरा सं0 132 की 0.610 हैक्टेयर, खसरा सं0 304 / 1 की 1.479 हैक्टेयर खसरा सं0 310 की 4.136 हैक्टेयर कुल किता 5 की 15.166 हैक्टेयर बारानी मुश्तर्का खाता में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम की बजाऐ बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता गोविन्दराम के बिशनाराम नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़डा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम की बजाऐ बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और ... बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... जमाबन्दी में अंकित अपना नाम बिशनाराम पुत्र गोमन्द के स्थान पर ... सही नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:08 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम गढ़ड़ा में खाता सं0 112/117 में प्रार्थी का नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों ने शपथ पत्र पेश किया तथा वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं का व पिता का एवं प्रार्थी के सगे भाईयों के पिता का नाम दुरूस्त किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 112/117 में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर बिशनाराम पुत्र गोमन्द दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व बैंक पासबुक पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 112/117 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम ''**बिशनाराम पुत्र गोमन्द के स्थान पर विष्णुराम पुत्र गोविन्दराम**'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच बिशनाराम पुत्र गोमन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए बिशनाराम पुत्र गोमन्द ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को [illegible] जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17/02/21 को [illegible] लिखवाकर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ – seal)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ